भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1428
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालय परिसर

†1428. **श्री राव राजेन्द्र सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के संबंध में कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश में स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय परिसरों के संबंध में कोई डेटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) को भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बदलने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार एवं अनुमोदित किया था। एनईपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार, भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाना है, जहां किफायती लागत पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे विश्व गुरु के रूप में भारत द्वारा अपनी भूमिका को फिर से स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

एनईपी 2020 की संकल्पना के अनुरूप, भारत में विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के शाखा परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023" जारी किए हैं।** यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली एनसीआर, मुंबई (महाराष्ट्र) तथा चेन्नई (तमिलनाडु) सहित भारत में विभिन्न स्थानों पर उनके परिसर स्थापित करने के लिए 14 आशय पत्र (एलओआई) जारी

किए हैं। इनमें से, यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथैम्प्टन, यूके ने अगस्त 2025 में हरियाणा के गुरुग्राम में अपने परिसर में पाठ्यक्रम शुरू किए।

गिफ्ट सिटी, गुजरात में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए **"अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022"** जारी किए गए हैं। **आईएफएससीए** विनियम 2022 के तहत, ऑस्ट्रेलिया और यूके के 5 विश्वविद्यालयों को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अपतटीय शाखा परिसरों के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन 5 विश्वविद्यालयों में से, डीकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई, 2024 में और यूनिवर्सिटी ऑफ़ वोलोंगोंग, ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अब तक निम्नलिखित अपतटीय परिसर स्थापित किए गए हैं:

i. ज़ांज़ीबार, तंजानिया में आईआईटी मद्रास
ii. अबू धाबी, यूएई में आईआईटी दिल्ली
iii. दुबई, यूएई में आईआईएम अहमदाबाद

इसके अतिरिक्त, विगत पांच वर्षों में, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालय संस्थानों, को अपना अपतटीय परिसर शुरू करने के लिए एनओसी/अनुमति प्रदान कर दी गई है:

i. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (सम विश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र – दुबई, यूएई में अप-तटीय परिसर (2023)
ii. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी (राज्य निजी विश्वविद्यालय), जयपुर, राजस्थान- रस अल खाईनह में अप-तटीय परिसर (2024)
iii. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली- एक्स्पो सिटी, दुबई, यूएई में अप-तटीय परिसर (2025)

भारत सरकार ने संस्थानों के अवसंरचना संबंधी उन्नयन कर, संस्थानों और पाठ्यक्रम को प्रत्यायन प्रदान कर, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देकर एवं डिजिटल पहलों में वृद्धि कर के उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीयकरण हेतु विभिन्न अन्य पहलें की हैं। कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- **'स्टडी इन इंडिया'** कार्यक्रम भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत को पसंदीदा गंतव्य बनाने की एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में अध्ययन हेतु आने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना है। स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल https://studyinindia.gov.in को एक विशिष्ट वेबसाइट के रूप में दिनांक 3 अगस्त, 2023 को शुरू किया गया है, जो भारत के सर्वोत्तम उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) को प्रदर्शित करती है और यह भारतीय एचईआई में अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु इच्छुक विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश तथा वीज़ा आवेदन के लिए समग्र

समाधान का केंद्र है। यह पोर्टल विदेशी विद्यार्थियों को उनकी वीज़ा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध करवाता है। 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों के संभावित विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए नियमित पहुँच कार्यक्रम, वेबिनार और शिक्षा मेलों का आयोजन किया जाता है।

- शीर्ष भारतीय संस्थानों और प्रमुख विदेशी संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु **'अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना' (एसपीएआरसी)**
- उच्चतर शिक्षा में **'वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल'** (जीआईएएन) को दिनांक 30 नवंबर, 2015 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण हेतु विश्व भर के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना है।
- विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एफएचईआई) के सहयोग से भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा युगल, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम बनाए के लिए **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों संचालित करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022"** जारी किए गए थे।
- यूजीई ने (i) भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में स्नातक पूर्व
- और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश तथा अधिसंख्यक सीटों एवं (ii) सभी एचईआई में 'विदेशी विद्यार्थियों हेतु कार्यालय' की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, वियार्थियों और संकाय सदस्यों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने, अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहभागिता स्थापित करने, भारतीय संस्थानों में विदेशी वियार्थियों के नामांकन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने आदि हेतु एफएचईआई द्वारा संस्थागत स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

*****